भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4611

(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

स्वच्छता और जल हेतु सीएसआर निधि

4611. श्री जी.एम. सिद्देश्वराः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी जल आधारित उद्योगों और संयंत्रों को उनके कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के एक अंश को विशेषकर सफाई और जल के संरक्षण के लिए खर्च करने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक टर्नओवर, या निवल मूल्य या निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी के लिए तत्काल पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत भाग इस अधिनियम की अनुसूची-VII में निर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) और 135(4) में कंपनियों के बोर्ड को इस अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध कार्यकलापों के लिए सीएसआर धनराशि के आवंटन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार पहले से ही दिया गया है।

*****